समाचार एवं विचार सेवा वार्षिक सहयोग राशि 25/–

महाकौशल–संदेश

RNI No. MPHIN/2001/11140

वर्ष:– 2019–20 पृष्ठ:– 4 अंक :– 13 संपादक :– डॉ. किशन कछवाहा

यह सामग्री 'प्रकाशनार्थ' प्रेषित है। कृपया अपने लोकप्रिय पत्र–पत्रिका में प्रकाशित कर Complimentaryकापी प्रेषित करने की अनुकम्पा करें।

पराजय के बाद काँग्रेस के सामने अस्तित्व का संकट – डॉ. किशन कछवाहा

134 साल पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जो 60 साल तक देश पर एक छत्रसत्ताशीन रही, वह अब अप्रासंगिक हो गयी है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के परिवार को सत्ता सम्हालने का सर्वाधिक अवसर प्राप्त हुआ था। नेहरू ने 17 साल, इंदिरा गांधी ने 18 साल, राजीव गांधी ने 5 साल। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के नाते सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मार्फत सत्ता सूत्र सम्हाले रहीं। अब राहुल? इन्हें प्रधानमंत्री बनाने के प्रयास सन् 2014 में जोर–शोर से शुरू किये गये लेकिन पराजय झेलना पड़ी। वही हाल सन् 2019 में भी रहे। अब तक पार्टी हासिये पर आ गई है। राहुल हार की जिम्मेदारी लेकर पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं लेकिन कार्यसमिति के लिये बिना नेहरू–गांधी परिवार राजनीति में आगे सोच सकना भी कठिन है।

कांग्रेस जिस दुर्दशाग्रस्त स्थिति में पहुंच चुकी है उससे कार्यकर्ताओं और नेताओं का अपने राजनैतिक भविष्य को टटोलते डिग जाना स्वाभाविक ही है। तेलंगाना उसका एक उदाहरण है जहां 12 कांग्रेसी विधायक टी.आर.एस. में शामिल हो गये। कांग्रेस को लोकसभा में विपक्षीदल की हैसियत भी प्राप्त नहीं हो सकी। कांग्रेस अध्यक्ष का अमेठी से हारना–हताशा पैदा करने वाला वाक्या है।

भाजपा की दूसरी बार धमाकेदार वापिसी से उबरने में कांग्रेस को समय तो लगेगा? कांग्रेस लगभग देश के डेढ़ दर्जन से अधिक राज्यों में अपना खाता खोल सकने में भी असमर्थ रही है। मध्यप्रदेश में सत्ता में रहने के बावजूद केवल एक सीट जीत सकी।

इसी प्रकार कर्नाटक में जद–एस और कांग्रेस गठबन्धन का सफाया हो गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद देश की राजधानी में ही उसका सफाया हो गया। मिजोरम और मणिपुर के गढ़ को भी कांग्रेस नहीं बचा सकी।

कांग्रेस के अन्दरूनी हालात भी अच्छे नहीं कहे जा सकते। अनेक प्रान्तों में आपसी कलह और बगावत थमने का नाम नहीं ले पा रही। हताशा और नैराश्य की स्थिति केवल कांग्रेस में ही नहीं, सारा विपक्ष प्रभावित है। विपक्ष ने इस तथ्य को जानने–समझने में गलती की है कि आज का मतदाता पहले की अपेक्षा ज्यादा जागृत और सुलझा हुआ है। वह सजग और सचेष्ट नेतृत्व चाहता है। इसे कौन इंकार कर सकता है कि देश की सुरक्षा के साथ पिछड़ी सरकारों ने खिलवाड़ किया है। इसी का परिणाम है कि कश्मीर के तीन चौथाई हिस्से पर अवैध कब्जा जमाये रखने के बावजूद पाकिस्तान जब तब भारत को धमकियाँ देता रहता है। सन् 1962 के चीनी हमले में भी चीन ने भारतीय भूभाग पर कब्जा जमा रखा है। जम्मू–कश्मीर में आतंकियों की गतिविधियाँ लम्बे समय से बेरोकटोक चल रही थी। ऐसी स्थिति में देश का मतदाता मोदी की आहट से आकर्षित क्यों नहीं होगा?

हैरानी की बात है कि इतनी पुरानी पार्टी आज बुरी तरह सिकुड़ गयी है। फिर भी नेहरू–गांधी परिवार के दबदबे के चलते किसी कांग्रेसी में इतना साहस नही है कि वह हार का ठीकरा किसी पर बांध सकें।

कांग्रेस संगठन की भूमिका आजादी के आंदोलन से जुड़ी रही है। इसका लाभ चुनावों में खूब भुनाया गया। अब मतदाता ऊब चुका है। अब उन मतदाताओं की संख्या बहुत ही कम हो गयी है जिसने आजादी की लड़ाई को प्रत्यक्ष देखा होगा, आदर्शों में जीने वाले कांग्रेसी भी अब बहुत ही कम बचे होंगे। जनता अब भी उन आदर्शों पर चलने वाले कार्यकर्ताओं को देखना चाहती है। इस मामले में कांग्रेस पूरी तरह विफल सिद्ध हुयी है। दूसरी ओर भूमंडलीकरण मंडल, कमंडल ने देश की दिशा को ही बदल दिया है। 134 साल की विरासत का दावा तो किया जाता है, पर पुराने आदर्शों को तिरोहित होते क्यों देखा जा रहा है? न तो लोकतांत्रिक तरीके से साल भर में अधिवेशन बुलाया जाता, न ही अध्यक्ष का चुनाव होता है। न अब उसके आनुषांगिक संगठनों का अस्तित्व बचा है, जिनके सहारे कार्यकर्ता तैयार किये जाते रहे है। आज अन्यों की बात तो छोड़ ही दें, स्वयं गांधी–नेहरू परिवार का व्यक्ति बिना पद लिये काम करने तैयार नहीं है। सबके सब नेता वातानुकूलित ड्राईंग रूम की राजनीति करना चाहते हैं, तब जमीन से जुड़ेंगे कैसे?

बुद्धिजीवियों के सहारे चलने वाली साम्यवादी पार्टी का जो हश्र हुआ है, वह किसी से छिपा नहीं है, वहीं पर कांग्रेस भी पहुंचती दिख रही है। इसी दबदबे के चलते आंतरिक लोकतंत्र तो इस पार्टी में बचा ही नहीं। न ही नये–पुराने कार्यकर्ताओं को अपनी योग्यता और क्षमता प्रदर्शन का अवसर प्राप्त हो सका।

इतना आत्मावलोकन तो किया ही जाना चाहिये था कि आखिर लम्बे समय तक राजसत्ता का सूत्र संचालन करने वाली यह पार्टी अपना जनाधार, क्यों खोती चली जा रही है? क्या ऐसे बुरे दिनों में संगठन के प्रति विश्वास जगाने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं को आगे लाने की जरूरत नहीं है, जो जमीनी हकीकत से न केवल वाकिफ हों, वरन् कुछ कर सकने की उनमें तमन्ना भी हो।

आज की मुख्य समस्या यह है कि राजनीति करने का मूल उद्देश्य स्वार्थपूर्ति ही रह गया है, ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता या नेता सिद्धान्तों पर टिके रहने वाले कहां मिल पायेंगे जबकि सामने ऐसे आदर्श भी उपस्थित नहीं है। समय की नजाकत को समझते हुये चुनावी राजनीति को दर किनार कर व्यापक हितों पर दृष्टि डालते हुये लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिए। इससे जनता आकर्षित होगी। इस हार से नेताओं को तो सबक लेना ही चाहिये, जो अब तक नजर नहीं आ सका है यह ठीक है कि आगे की डगर कठिन ही नहीं मुश्किलों भरी है।

तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, झारखण्ड, जम्मू–कश्मीर, राजस्थान और मध्यप्रदेश में चल रही वर्चस्व की लड़ाईयों ने इसे और भी मुश्किलों के बीच खड़ा कर दिया है जिसके लिये लचर नहीं सख्त नेतृत्व की जरूरत है। आने वाले कुछ महिनों के भीतर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखण्ड, जम्मू–कश्मीर और दिल्ली में विधान सभाओं के चुनाव भी होना है। इन राज्यों में 85 लोकसभा सीटें हैं। इनमें केवल दो सीटें ही कांग्रेस जीत सकी है। इस स्थिति में कांग्रेस के लिये मजबूती से खड़ा हो पाना और कार्यकर्ताओं को सम्हाल पाना गुरूतर दायित्व होगा। कांग्रेस जितनी जल्दी विगत हार से सबक ले ले, उसमें ही उसका भला है। क्या गांधी परिवार और उसके अब तक वफादार कहे जाने दरबारी बिना पद पर रहे देश सेवा या कांग्रेस संगठन के लिये काम करने का आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे?

शिक्षा कैसी हो?

शिक्षा का अर्थ अंक और दाखिला तक सीमित नहीं है। उसके माध्यम से ज्ञान और मूल्य आधारित विद्या का प्राप्त होना आवश्यक है। सरकार को चाहिये कि वह उस सम्बन्ध में समग्रता के साथ विचार करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये तेजी से कदम बढ़ायें।

नयी शिक्षा नीति का मसौदा आने के बाद से देश में एक नई बहस की शुरूआत हो गयी है। एक तरफ कॉलेजों या उच्च संस्थानों में दाखिला लेने की भागमभाग है, वहीं उसमें शत–प्रतिशत की उलझन कहाँ तक ले जायेगी? नयी पीढ़ी को मूल्यों और संस्कारों से उस माध्यम से परिचित कराने में कहाँ तक सफल हो पा रहे हैं? साथ ही प्रश्न तो यह भी है कि नयी पीढ़ी को भरोसेमंद बनाने के लिये उनमें अतीत के प्रति गौरव का भाव जगे और उन्हें बेहतरीन नागरिक बनाया जाए।

अब न तो लाट्साहब बनना है, न ही नबाब। अब आवश्यक है कि सांदीपनी आश्रम से निकले दो विद्यार्थी कृष्ण–सुदामा से आपसी भेदभाव से रहित रिश्ते समाज में परिलक्षित हों। किताबों के बोझ से झुका देने वाली कमर तोड़ शिक्षा को जितनी जल्दी हो सके, बिदा कर दिया जाना चाहिये। छात्रों की रूचि को परख कर शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं होना चाहिये?

अकबर इलाहाबादी का एक शेर है– **"मुझे नफरत नहीं थी अंग्रेज की सूरत से, नफरत थी तो उसके तर्जे हुकूमत से।"**

स्वामी विवेकानन्द ने भी कहा है कि "आज पढ़ना सब जानते हैं, पर पढ़ना क्या चाहिये? यह कोई नहीं जानता।"

'जब तक विद्या का उपयोग तुच्छ कामनाओं की पूर्ति में किया जाता है, तब तक बड़े से बड़ा विद्वान भी दुःख की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकता। वर्तमान शिक्षा रोजगारोन्मुख होने की बजाय बेरोजगारी बढ़ाने वाली है। रोजगार और नौकरी की अनुपलब्धता ने युवा पीढ़ी को निराशा के भंवर में ढ़केल रखा है। इससे निजात दिलाने की तत्काल आवश्यकता है। सोच के कदम इसी ओर उठाये जाने की जरूरत है।

सावरकर महान क्रान्तिकारी थे

आजादी के आंदोलन के श्रेष्ठ क्रान्तिकारियों में एक नाम है–वीर सावरकर जिसने दो–दो आजीवन सजायें झेली। अमानवीय यातनाओं का तो लेखा–जोखा भी हो नहीं सकता। इसके बावजूद उन्हें अपमानित करने के लिये सेकुलर खेमे के तथाकथित चाटुकार पत्रकारों और सम्पादकों ने अग्रलेख भी लिखे।

"जब राष्ट्रीय नायकों को छुद्र राजनैतिक स्वार्थों के लिये अपमानित किया जाता है तब ऐसे प्रयास घृणास्पद हो जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव अभियान के दौरान लगातार स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का मजाक उड़ाने का प्रयास किया। लेकिन उन्हें पता है या नहीं उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन् 1966 में सावरकर के निधन पर जो शोक संदेश भेजा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि –"भारत का एक महान व्यक्तित्व हमारे बीच से चला गया। उनका नाम साहस और देशभक्ति का पर्याय था। श्री सावरकर एक श्रेष्ठ क्रांतिकारी थे और अनेक लोगों ने उनसे प्रेरणा प्राप्त की थी।"

क्या राहुल गांधी और कांग्रेस श्रीमति इंदिरा गांधी को एक 'डरपोक' की प्रशंसा करने का दोषी मान रहे हैं?

कानून का अध्ययन करते समय लंदन में बिताये पांच तूफानी वर्षों में विनायक दामोदर सावरकर ने पूरे यूरोप में भारत के क्रान्तिकारी आंदोलन का शंखनाद कर दिया। उसी का परिणाम था कि अंग्रेजों ने घबड़ाकर उन पर अवैध रूप से एफ.ओ.ए. कानून थोप कर गिरफ्तार कर लिया। उनका मुकदमा भी पक्षपात पूर्ण ढ़ंग से चला और दो–दो आजन्म कारावास की सजाये उन्हें दे दी गयीं। अंदमान की जेल की कालकोठरी में उन्हें निकृष्टतम और अमानवीय यातनायें दी गईं। इस दौरान उन्हें भोजन, चिकित्सा और शौचालय जैसी सुविधायें भी नही दी गयीं।

–विक्रम सम्पत
अंग्रेजी दैनिक 'हिन्दुस्थान टाईम्स'17 मई
इतिहासकार

हिन्दुत्व ही भारत की पहचान

धर्म सबको जोड़ता है। भारत की इस जीवनदृष्टि को दुनिया में 'हिन्दू जीवनदृष्टि' के नाम जाना जाता रहा है। यह भारत के सभी लोगों की पहचान बन गई है। किसी की भाषा, जाति या उपासना पंथ कोई भी हो, सब इस एकात्म जीवनदृष्टि को अपना मानते हैं। इसलिए भारत में रहने वाले सभी जन की पहचान 'हिन्दू' के नाते बनी

भारत की जीवनदृष्टि दुनिया में विशिष्ट है और इसका आधार है आध्यात्मिकता। इसीलिए यह दृष्टि एकात्म है और सर्वांगीण भी है। इसी कारण भारत सत्य के अनेक रूप देखता हे, उस तक पहुंचने के मार्ग भिन्न होतु हुए भी वे सभी समान हैं, ऐसा मानता है। इसी कारण वह अनेकता में एकता देखता है और विविधता में ऐक्य की प्रस्थापना कर सकता है। वह विविधता को भेद नहीं समझता। प्रत्येक व्यक्ति में, चराचर में एक ही आत्म–तत्व विद्यमान है। इसलिए हम सभी परस्पर जुड़े हुए हैं, यह भारत मानता है। इस जुड़ाव की अनुभूति करना, जुड़ाव के विस्तार की परिधि बढ़ाते जाना और अपनेपन का विस्तार करते हुए अपनेपन के भाव से दूसरों के लिए कुछ करना, इसी को हमारे यहां धर्म कहा गया है।

यह धर्म (जो 'रिलिजन से अलग है) सबको जोड़ता है, किसी को छोड़ता नहीं है। भारत की इस जीवनदृष्टि को दुनिया में 'हिन्दू जीवनदृष्टि' के नाम जाना जाता रहा है। इसीलिए यह भारत के सभी लोगों की पहचान बन गई है। फिर उनकी भाषा, जाति, प्रदेश या उपासना पंथ(रिलिजन) कोई भी हो, वे सब एक एकात्म और सर्वांगीण जीवनदृष्टि को अपना मानते हैं, इससे अपना रिश्ता जोड़ते हैं। इसलिए भारत में रहने वाले सभी जन की पहचान 'हिन्दू' के नाते बनी है। यह हिन्दू होना यानी 'हिन्दुत्व' भारत के सभी लोगों को आपस में जोड़ता है, एकता का एहसास कराता है। रा.स्व. संघ संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने भारत के विभिन्न भाषा, जाति, उपासना पंथ और प्रदेश के लोगों में एकता का भाव जगाने के लिए इसी हिन्दुत्व को आधार बनाया और सबको इस हिन्दुत्व के आधार पर जोड़कर संगठित करने का कार्य प्रारम्भ किया।

परन्तु अपने–अपने राजनीतिक व निहित स्वार्थ के लिए जो लोग इस समाज को जाति, भाषा, प्रदेश या रिलिजन के नाम पर बंटा हुआ ही रखना चाहते थे, उन सभी ने इस 'हिन्दुत्व' को

शेष भाग पृष्ठ क्र. 4 पर

लोकतंत्र ही नहीं, भरोसे की भी हत्या

मैं खुलेआम कहती हूँ कि टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) ने बंगाल में केवल लोकतंत्र की ही हत्या नहीं की है, बल्कि वह लोगों के भरोसे की भी बलात्कार कर रही है। बंगाल के साथ वाम मोर्चे ने जो किया, टीएमसी भी वही कर रही है।

हमारा बचपन बंगाल में बीता। हम यहीं पले–बढ़े। हमने वाम मोर्चे की कार्यशैली को करीब से देखा है। उस समय मैं यह सोचती थी कि बिहार प्रगति कर रहा है, लेकिन बंगाल की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आज स्थिति यह है कि गुंडागर्दी, लोकतंत्र की हत्या, मुसलमानों को वोटबैंक की तरह इस्तेमाल करने और जनता को बेवकूफ बनाने में अगर माकपा या वाम मोर्चा 19 था तो टीएमसी 20 है। जब से प्रदेश में टीएमसी की सरकार बनी है। तब से तोलाबाजी, गुंडागर्दी और बढ़ी है। पुलिस को कठपुतली बना दिया गया है। आप किसी भी थाने में जाइये, आम आदमी की कोई इज्जत नही है। वकील की कोई इज्जत नहीं है। टीएमसी को छोड़ दूसरे राजनीतिक दलों के विधायकों की भी कोई इज्जत नहीं है। वहीं, टीएमसी की वार्ड सदस्य भी थाने में चला जाए तो उसे सिर–आंखों पर बैठाया जाता है। यहां तक कि तृणमूल का कोई सामान्य कार्यकर्ता भी आ जाए तो पल भर में उसका काम हो जाता है। वहीं, हम जैसे लोगों को 10–10 शिकायत पत्र लिखने के साथ पुलिसवालों से मिन्नतें करनी पड़ती हैं। एक वकील होने के नाते यह सब मैने अपनी आंखों से देखा है। वकील होने के साथ–साथ मैं एक समाजसेवी भी हूँ और मुस्लिम महिलाओं के हितों के लिए काम करती हूँ।

राज्य की जनता ने यह सोचकर ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी कि वे माँ, मानुष और माटी की इज्जत करेंगी। उनके कार्यकाल में बंगाल का विकास होगा, बंगाल खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन आज वही जनता उन्हें देखना तक नहीं चाहती। सत्ता के मद में वे इस हद तक चली गई हैं कि कुर्सी पर बने रहने के लिए एक मकसद बना लिया है–चोरी करो, हत्या करो, गुंडई करो। कुछ भी करो, पर सत्ता हमारी होनी चाहिए। ऐसी जगह आम आदमी कैसे सुकून से रह सकता है। अगर 'दीदी मोनी' ने वाकई विकास कार्य किया होता तो उन्हें राजनीतिक हत्याएं नहीं करवानी पड़तीं। मतदाताओं को बूथ पर जाने से रोकना क्या दर्शाता है? देर–सबेर इसका परिणाम तो सामने आएगा ही। एक महिला होने के नाते उन्हें प्रदेश की पीड़ित महिलाओं को सबल बनाने की दिशा में काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सर्वोच्च न्यायालय में तीन तलाक के लिए मुकदमा लड़ा। मैंने हावड़ा न्यायालय और उच्च न्यायालय में इशरत (सदस्या, पश्चिम बंगाल भाजपा महिला मोर्चा) का मुकदमा लड़ा, जिनके चरित्र पर टीएमसी के सांसद सिद्धिकुल चौधरी और इदरिस अली उंगली उठाते थे। उनके विरूद्ध प्रेस कांफ्रेंस करते थे। ऐसी स्थिति में मैंने उन्हें अपने घर में रखा। उनकी देखभाल की ताकि कोई उन्हें किसी तरह का नुकसान न पहुंचा सके।

एक तरफ तो आप (ममता बनर्जी) मुसलमानों की हमदर्द बनती हैं। खुद को मसीहा मानती हैं और कहती हैं कि मुसलमानों के वोट से ही सरकार बनती हैं, लेकिन उस समय कहां थीं जब देश में तीन तलाक के लिए बहस छिड़ी हुई थी? तीन तलाक के विरूद्ध प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए तो आपने उन्हें ही उलटा–सीधा बोल दिया। .....आपने केवल लोकतंत्र की हत्या नहीं की, बल्कि मुस्लिम महिलाओं की उम्मीदें भी तोड़ी हैं। उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है।

लोग नाराज हैं, क्योंकि प्रदेश में रोजगार है ही नहीं। जिला अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक, कहीं भी जाइए तृणमूल के लोग किसी को काम नहीं करने देते हैं। हर जगह टीएमसी की यूनियन बाजी मिलेगी। गुंडागर्दी का आलम यह है कि क्लब के सामने अगर किसी विरोधी दल की झंडी लगी गाड़ी ने गलती से हॉर्न बजा दिया तो टीएमसी के लोग उनके साथ बदतमीजी करते हैं। अगर आपके हाथ में टीएमसी का झंडा है, तो आपको मौलिक अधिकार मिलेंगे। अगर टीएमसी का झंडा नहीं उठा सकते तो आपको मौलिक अधिकार से भी वंचित रखा जाएगा।

बंगाल में चारों तरफ अराजकता का माहौल है। पुलिस थानों में आपको 'रूल ऑफ लॉ' नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। स्थिति यह है कि अगर मैं अदालत से धारा 145 के तहत आदेश लाकर दूं और टीएमसी के किसी सामान्य कार्यकर्ता का भी फोन आ जाए तो वह आदेश रद्दी में चला जाता है, जबकि वह मजिस्ट्रेट का आदेश होता है। ममता खुद को सभी संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर समझती हैं। उनके सामने सीबीआई भी कुछ नहीं है। वे सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार करवा सकती हैं। वह सर्वोच्च न्यायालय के किसी आदेश को भी नहीं मानतीं, तो आम आदमी की क्या औकात है। आम जनता कैसे बोल सकती है कि 'दीदी हम आपसे नाराज हैं'। पिछले विधानसभा चुनावों में एक महिला ने कहा था कि वह टीएमसी को वोट नहीं देगी तो उसकी उंगली काट दी गई थी। तापस पाल, जो कि अभिनेता और टीएमसी सांसद भी हैं, खुलेआम बोलते हैं कि जो टीएमसी को वोट नहीं देगा उसके घर में घुसकर महिलाओं से बलात्कार करो। इसी तरह, अनुब्रत मंडल कहते हैं कि जो टीएमसी के विरूद्ध बोलेगा और वोट नहीं देगा, उसे गांजा के केस में फंसा कर जेल भेजो।

बरूइपुर–जादवपुर–भांगड़ ऐसे इलाके हैं, जहां छोटे बच्चों से बम बनवाये जाते हैं। उनके माता–पिता केवल डर के कारण मुंह नहीं खोलते। वे जानते हैं कि अगर वे कुछ बोलेंगे तो पता नहीं किस आरोप में जेल भेज दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में ममता किसी को मतदान केन्द्र तक पहुंचने नहीं दे रही हैं। फिर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट कैसे मिल जाते हैं? यह गम्भीर सवाल है। अगर दीदी दो साल और सत्ता में रहीं तो बंगाल खत्म हो जाएगा। बंगाल को वह कुछ और बना देंगी। वे पूरी तरह निरंकुश हो चुकी है। उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। जिस तरह से उन्होंने सीबीआई के गिरेबान पर हाथ डाला और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इससे तो यही साबित होता है। जो सीबीआई से नहीं डरता, उसके खिलाफ बोलने की हिमाकत कौन कर सकता है?

सवाल है कि सारदा चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपी को जेल हुई, लेकिन वह बाहर कैसे आ गया? दरअसल, जनता भी अपना आत्मविश्वास खो चुकी है। वह यह तय नही कर पा रही है कि किसका समर्थन करे। इस्लामपुर की घटना के आरोपी के विरूद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश में महिलाओं की स्थिति तो और बदतर है। महिलाओं, बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, लेकिन ममता ने अब तक उसका संज्ञान नहीं लिया। वहीं, टीएमसी कार्यकर्ताओं को पूरी सुरक्षा मिली हुई है। बात यह है कि जब पुलिस ही टीएमसी कैडर की तरह काम करेगी तो कोई क्या कर सकता है। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, अगर आपका जुड़ाव टीएमसी से नहीं है तो आपको घंटों इंतजार कराया जाएगा। आज किसी अधिकारी से नहीं मिल सकते। अभी ममता ने 5000 पन्नों की विकास रिपोर्ट जारी की है। नीला–सफेद रंग पोतना और लाइटें लगाना ही विकास है। सड़कें नहीं हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। फिर विकास हुआ कहां? किसी को यह दिखता क्यों नहीं? बंगाल को बचाना है तो समय रहते ममता की मनमानी पर रोक लगानी ही होगी।

शेष भाग पृष्ठ क्र. 2 का

साम्प्रदायिक, प्रतिगामी, विभाजनकारी, अल्पसंख्यक विरोधी आदि–आदि कहकर, हिन्दुत्व का और संघ का जोर–शोर से विरोध करना शुरू किया। स्वामी विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती जैसे हिन्दुत्व के पुरोधाओं, संतों पर भी यही सारे दूषण लगाकर इनके कार्यों को नकारना, विरोध करना शुरू हुआ।

परन्तु हिन्दुत्व का शाश्वत आधार लेकर चला संघ कार्य इन सभी के विरोध के बावजूद और इन सभी की इच्छा के विपरीत बढ़ता ही चला गया, व्यापक होता चला गया। फिर इन्हीं विरोधियों ने अपने स्वार्थ के कारण अपनी भूमिका में थोड़ा परिवर्तन करते हुए यह कहना शुरू किया कि हिन्दुत्व तो ठीक है, पर एक नरम (साफ्ट) हिन्दुत्व है और एक गरम (हार्ड) हिन्दुत्व है। स्वामी विवेकानन्द का 'नरम हिन्दुत्व' है, जो ठीक है पर संघ का 'गरम हिन्दुत्व' है जो भर्त्सनीय है। इसी खेमे से एक पुस्तक लिखी गयी ''व्हाय आई एम नॉट ए हिन्दू''। पर हिन्दुत्व का प्रसार और स्वीकार समाज के सहयोग से बढ़ता ही गया। फिर इसी खेमे से दूसरी पुस्तक लिखी गयी ''व्हाय आई एम ए हिन्दू''। हिन्दुत्व का स्वीकार और विस्तार लगातार बढ़ता ही चला गया और कारण वही कि यह भारत की आत्मा है, भारत के मन की बात है।

फिर इन्हीं निहित स्वार्थी तत्वों ने यह भ्रम फैलाना शुरू किया कि एक 'हिन्दुइज्म' तो अच्छा है, पर 'हिन्दुत्व' खराब है, क्यों कि वह साम्प्रदायिक, प्रतिगामी और अल्पसंख्यक विरोधी है। एक मीडिया संस्थान ने इसी दौरान मुझसे प्रश्न पूछा कि 'हिन्दुइज्म और हिन्दुत्व में क्या अन्तर है?' मैंने कहा, 'दोनों एक ही तो हैं। एक अंग्रेजी है, दूसरा हिन्दी है। इसमें उतना ही फर्क है जितना गुलाब और रोज(rose) में है। डॉक्टर राधाकृष्णन पुस्तक ''हिन्दू व्यू ऑफ लाइफ'' अंग्रेजी में है इसलिए उन्होंने 'हिन्दुइज्म' का प्रयोग किया। उनकी किताब यदि हिन्दी में होती तो वे 'हिन्दुत्व' का प्रयोग करते। सावरकर जी अपनी पुस्तक 'हिन्दुत्व' मराठी के बदले यदि अंग्रेजी में लिखते तो शायद 'हिन्दुइज्म' का ही प्रयोग करते। हाँ! मेरा यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हिन्दुत्व का सही अंग्रेजी अनुवाद 'हिन्दुइज्म' न हो कर हिन्दूनेस (Hinduness) होना चाहिए'।

रा.स्व. संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत ने विज्ञान भवन में गत दिनों अपनी त्रि–दिवसीय व्याख्यानमाला में हिन्दू और हिन्दुत्व को पर्याप्त विस्तार से स्पष्ट किया है। परन्तु सच जानने में नहीं अपितु झूठा प्रचार करने के इरादे से जिनका प्रचार चल रहा है वे इस पर ध्यान नहीं देंगे। भारत में असली वैचारिक संघर्ष भारत की दो विभिन्न अवधारणाओं के बीच है। एक भारत की भारतीय अवधारणा है, जिसकी जड़ें भारत की प्राचीन अध्यात्म आधारित जीवनदृष्टि से गहराई तक जुड़ी हैं। और दूसरी भारत की अभारतीय अवधारणा है जिसके प्रतिमान और प्रेरणास्त्रोत भारत के बाहर के हैं। पत्रकार से राजनेता बने ऐसे एक नेता ने अभी–अभी एक बयान दिया कि 'इस चुनाव में हिन्दू भारत या हिन्दुत्व भारत के बीच चुनाव करना होगा।' इस खेमे के द्वारा हिन्दू भारत के संबंध में बात करना हिन्दुत्व के बढ़ते प्रभाव और विस्तार के कारण ही हो रहा है। इनकी इसमें कोई प्रतिबद्धता नही दिखती है। राजकीय दृष्टि से सुविधा के अनुसार , इनकी भूमिकाएं बदलती जाती हैं। सारा भारत हिन्दुत्व के कारण एक हो रहा है तो इनकी जातीय, साम्प्रदायिक, प्रादेशिक राजनीति कमजोर हो रही हे, इनके जनाधार का क्षरण हो रहा है। इनके लिए अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए समाज को बांटना अनिवार्य है। अब जाति, भाषा, रिलिजन के नाम पर समाज नहीं बंट रहा है तो हिन्दू और हिन्दुत्व के नाम से बांटने का प्रयास हो रहा है। यह बदलाव इनके हिन्दू प्रेम या प्रतिबद्धता के बाद मतदाता पहचान पत्र में फोटो लगाना अनिवार्य किया गया।''

दीपक कुमार घोष कहते हैं, ''माकपा के कार्यकाल में सिंगूर और नंदीग्राम प्रकरण हुआ, जिसमें हजारों लोगों को गांवों से पलायन करना पड़ा। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के सहारे ही 2011 में ममता सत्ता पर काबिज हुईं। सत्ता में आते ही ममता ने सिविक–पुलिस के लिए दो लाख पद वृजित किए और अपने कैडर को उसमें भर दिया। साथ ही, स्थानीय पुलिसबल में भी अपने कार्यकर्ताओं की भर्ती की। सिविक–पुलिस और स्थानीय पुलिसबल के गठजोड़ के जरिये ममता ने सबसे पहले पुलिस व्यवस्था पर नियंत्रण किया। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रदेश भर्ती की और उनके माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को अपने पक्ष में मोड़ लिया। यही नहीं, माकपा ने 17 से 18 वर्ष के युवाओं का मतदाता पहचान पत्र बना दिया। दूसरी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य में बसाया, उनके राशन कार्ड बनवाए तथा बाद में उनके नाम भी मतदाता सूची में शामिल कर लिए। ये सारे काम माकपा की स्थानीय समिति, जोनल समिति और केंद्रीय समिति से नियंत्रित होते थे। शुरूआत में मतदाता पहचान पत्र पर फोटो नहीं होती थी। 1993 में जब ममता बनर्जी युवा कांग्रेस अध्यक्ष थीं, तब उन्होंने कोलकाता में एक बड़ी रैली की थी, जिसमें पुलिस की गोलीबारी में 13 कांग्रेसी मारे गए थे। इसके भोली दिखने वाली जनता नासमझ नहीं है जो इनके झांसे में आ कर गलत निर्णय कर ले। और एक शब्द का प्रयोग जान–बूझकर भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है कि 'ये लोग हिन्दुत्ववादी या हिन्दूवादी है।' यह भी वुद्धि को भ्रमित करने की चाल है। साम्यवादी, समाजवादी, पूंजीवादी तो लोग होंगे, पर ये हिन्दूवाद या हिन्दुत्ववाद कहां से आया? यहां तो केवल 'हिन्दुत्व' है जो एक 'एकात्म और सर्वांगीण' जीवनदुष्टि है और उसे अपना मानने वाला, उसके प्रकाश में अपना व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन जीने वाला समाज है जो 'हिन्दू' कहलाता है। फिर ये हिन्दूवादी, हिन्दुत्ववादी शब्द अनावश्यक भ्रम फैलाने के लिए क्यों उपयोग में लाए जा रहे हैं? इसके पीछे के षड्यंत्र पहचान कर, इसके प्रचार से भ्रमित हुए बिना हिन्दुत्व के शाश्वत चिन्तन और मूल्यों को प्रस्थापित करना और अपने आचारण से उसे प्रतिष्ठित करने का प्रयास, करना चाहिए। इसी से भारत की पहचान, जो दुनिया सदियों से जानती है, प्रकट होगी और समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत का पुरूषार्थ प्रकट होगा। अपने 'स्वदेशी समाज' नामक निबन्ध में रविन्द्र नाथ ठाकुर कहते हैं–'सबसे पहले हमें, हम जो हैं, वह बनना पडेगा।

'राज्य की पुलिस तृणमूल की कठपुतली, लोकतंत्र बदहाल'

बंगाल में 34 साल तक प्रशासनिक सेवा में रहे पूर्व आईएएस अधिकारी दीपक कुमार घोष तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और दो बार तृणमूल के टिकट पर विधायक भी रह चुके हैं। राज्य में नक्सल आन्दोलन को नियंत्रित करने वाले घोष कहते हैं, ''कांग्रेस के बिधानचन्द्र रॉय ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बंगाल में वोटों की चोरी, फर्जी मतदाताओं से मतदान की प्रथा की शुरूआत की, जिसे बाद में माकपा के ज्योति बसु ने सांगठनिक रूप दिया। उन्होंने सरकारी सेवाओं में पार्टी कैडर की की कानून व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन आईएएस/आईपीएस अधिकारियों के हाथों से निकल कर सीधे तृणमूल के हाथों की कठपुतली बन गया। ममता ने चुनावों में अपने फायदे के लिए इसका प्रयोग किया। साथ ही, ममता ने एक बर्बर तरीका ढूंढ निकाला, वह था विरोधी दलों, जैसे कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या कर उन्हें पेड़ से लटका देना ताकि लोगों के मन में डर और गहरा हो सके।''

सूचना

कृपया आप अपना सुझाव महाकोशल संदेश के ई–मेल व्हाट्सअप नं. 9713223539 पर भेजें।

– सम्पादक

प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. किशन कछवाहा द्वारा विश्व संवाद केन्द्र, महाकोशल, प्लाट नं–1, म.नं. 1692, नवआदर्श कालोनी, के लिये ओम आफसेट प्रिन्टर्स 239, यूनियन बैंक के सामने बल्देवबाग चौक, जबलपुर द्वारा मुद्रित। प्रकाशन स्थान–विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं 1, म.नं. 1692 नवआदर्श कॉलोनी गढ़ा मार्ग जबलपुर मध्यप्रदेश । संपादक– डॉ. किशन कछवाहा-
Email:- vskjbp@gmail.com kishan_kachhwaha@rediffmail.com